संख्या-51/2016/वे0आ0-2-958/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2016

विषय- बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद की वेतन विसंगति से संबन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14 जून, 2016 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 14 जून, 2016 का कार्यवृत अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव

संख्या-51/2016/वे0आ0-2-958(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रान्तीय बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण एसोसिएशन की मॉग पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति में दिनांक 14 जून, 2016 को हुए विचार विमर्श का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(2) श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य

(3) श्रीमती डिम्पल वर्मा, प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग — सदस्य

(4) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग — सदस्य सचिव

बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण एसोसिएशन की मॉगों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम समिति द्वारा संघ के पदाधिकारियों का पक्ष सुना गया। संघ की ओर से बाल विकास परियोजना अधिकारी संघ द्वारा अपना पक्ष रखा गया। संघ द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर खण्ड विकास अधिकारी के समान वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य किये जाने की मॉग की गई है। संघ द्वारा अपनी मॉग के पक्ष में यह बताया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद भारत सरकार द्वारा सृजित किया गया है और सम्पूर्ण देश में इस पद का वेतनमान खण्ड विकास अधिकारी के बराबर निर्धारित है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद के वेतनमान का 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है और बढ़े हुए वेतनमान पर आने वाले व्ययभार का 60 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

2— बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण एसोसिएशन का पक्ष उपर्युक्तानुसार सुनने के उपरान्त समिति द्वारा वेतन विसंगति के सम्बन्ध में विचार किया गया। समिति द्वारा संघ की इस मॉग पर कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर खण्ड विकास अधिकारी के समान वेतनमान दिया जाय पर विचार किया गया। संघ की मॉग के क्रम में समिति को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया गया।

तत्थ्यात्मक स्थिति

बाल विकास परियोजना विभाग का वर्तमान में संवर्गीय ढॉचा निम्नानुसार है :———

क्र0 सं0	पदनाम / पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की विधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक / अपर परियोजना प्रबन्धक / (12)	वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600 / –	जिला कार्यक्रम अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा।
2	जिला कार्यक्रम अधिकारी / 69	वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 / –	50 प्रतिशत सीधी भर्ती। 50 प्रतिशत बाल विकास परियोजना अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा। **अर्हता**– समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक।
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी / (897)	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 / –	50 प्रतिशत सीधी भर्ती। 50 प्रतिशत अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा अनुपब्लधता की स्थिति में मुख्य सेविका से पदोन्नति द्वारा। **अर्हता**– समाज शास्त्र या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक।
4	अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी / (40)	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 / –	10 वर्ष की सेवा वाले मुख्य सेविका से पदोन्नति द्वारा।
5	मुख्य सेविका / (6643)	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200– 20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 / –	50 प्रतिशत सीधी भर्ती। 50 प्रतिशत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से समायोजन द्वारा।

संघ की मॉग के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि बाल विकास परियोजना विभाग में जिल स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी का पद वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–

39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– में उपलब्ध है, जो बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए पदोन्नति का पद है। संघ की मॉग के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि वेतन समिति (2008) के समक्ष भी संघ द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर खण्ड विकास अधिकारी के समान वेतनमान दिये जाने की मॉग की गई थी। वेतन समिति द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के वेतनमानों के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह पाया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यद्यपि महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है, परन्तु इस पद के धारकों द्वारा निर्वहन किये जा रहे कार्य एवं दायित्व, कार्य क्षेत्र तथा कार्य की प्रकृति तथा खण्ड विकास अधिकारी के कार्यों/दायित्वों में भिन्नता के दृष्टिगत यह पद खण्ड विकास अधिकारी से तुलनीय नहीं है और इस आधार पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान में उच्चीकरण का औचित्य नहीं बनता। विभागीय निदेशक द्वारा दिल्ली सरकार के बाल विकास परियोजना अधिकारी से समकक्ष बताते हुए इस पद पर वेतनमान रू0 6500–10000 दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था। विभागीय प्रस्ताव पर विचार करते समय वेतन समिति ने यह पाया कि दिल्ली सरकार में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता समाज कार्य/समाज शास्त्र/गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री निर्धारित है, जबकि प्रदेश में इस पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता इन्हीं विषयों में स्नातक उपाधि है। अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में समकक्ष बताये जा रहे पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता कार्य एवं उत्तरदायित्व आदि से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके हैं। अतः भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता में भिन्नता के कारण इन पदों पर दिल्ली सरकार के समकक्ष बताये जा रहे पदों के समान वेतनमान रू0 6500–10000 सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

समिति की संवीक्षा

समिति द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर खण्ड विकास अधिकारी के समान वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– दिये जाने विषयक मॉग पर विचार किया गया। खण्ड विकास अधिकारी के समान वेतनमान दिये जाने की मॉग के क्रम में समिति ने यह पाया कि खण्ड विकास अधिकारी के समान वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में इस बिन्दु पर व्यापक परीक्षण की आवश्यकता है कि खण्ड विकास अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व, शैक्षिक अर्हता तथा भर्ती की विधियों आदि की तुलनात्मक स्थिति क्या है, इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के पोषक संवर्ग में सम्मिलित मुख्य सेविका के पदों का ग्रेड

बढ़ाये जाने हेतु भी संगठन की मॉग प्राप्त हुई है। यही नहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदोन्नति का पद वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– में है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 5400/– दिये जाने की स्थिति में उनके पदोन्नति का पद भी ग्रेड वेतन रू0 5400/– में ही होने से विसंगति उत्पन्न होगी। अतः बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु समग्रता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियॉ प्राप्त हो चुकी है और उस पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य में कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर विचार हेतु वेतन समिति का गठन किया जायेगा। अतः यह उचित होगा कि प्रशासकीय विभाग विचाराधीन विषय पर सम्यक परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव गठित होने वाली वेतन समिति के समक्ष उपलब्ध करायेंगे।

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग।

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग।

डि॰ वर्मा
(श्रीमती डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव, बाल
विकास एवं पुष्टाहार
विभाग ।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।